

इज़रायल और हमास नेताओं के वरिद्ध गरिफ्तारी वारंट

प्रलिम्स के लिये:

[अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय \(ICC\)](#), [इज़रायल और हमास](#), ['रोम संवधि'\(द रोम स्टैचयूट\)](#), [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद \(UNSC\)](#), [अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जनिवा कन्वेंशन \(1949\)](#)

मेन्स के लिये:

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में, युद्ध अपराध और संबंधित सम्मेलन

स्रोत: द हद्दि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय \(International Criminal Court- ICC\)](#) के अभियोजक ने फिलिस्तीन में युद्ध अपराधों के लिये हमास के नेताओं और इज़रायल के प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री के वरिद्ध गरिफ्तारी वारंट का अनुरोध किया है।

नोट:

- **इज़रायल ICC का सदस्य नहीं है**, इसलिये यदि गरिफ्तारी वारंट जारी किया जाता है, तो भी संबंधित नेताओं पर मुकदमा चलाने का तत्काल कोई जोखिम नहीं होता है। हालाँकि, अगर गरिफ्तारी का खतरा बढ़ा तो इज़रायल का अलगाव, इज़रायली नेताओं के लिये वदेश यात्रा करना कठिन बना देगा।
- ICC ने वर्ष 2015 में "द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन" को सदस्य के रूप में स्वीकार किया।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है?

- **ICC का परिचय:**
 - यह विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जो 'रोम संवधि' नामक अंतर्राष्ट्रीय संधिद्वारा शासित होता है।
 - वर्ष 1998 में अधिक न्यायसंगत विश्व बनाने की दशा में **120 राज्यों** द्वारा रोम संवधिको **अपनाया** गया था।
 - वर्ष 2002 में 60 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के बाद रोम संवधि प्रभावी हुई और आधिकारिक तौर पर ICC की स्थापना हुई। चूँकि, इसका कोई **पूर्वव्यापी क्षेत्राधिकार नहीं है**, इसलिये ICC इस तथिसे या उसके बाद हुए अपराधों से नपिटता है।
 - **भारत**, अमेरिका और चीन तीनों **रोम संवधिके पक्षकार नहीं है।**
 - **124 राष्ट्र** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संवधिके सदस्य देश हैं, जिसमें **मलेशिया** शामिल होने वाला अंतिम देश है।
- **क्षेत्राधिकार एवं कार्य:**
 - यह जाँच करता है और जहाँ भी आवश्यक हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये सबसे गंभीर चलाजनक अपराधों: **नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराधों के आरोप में व्यक्तियों पर मुकदमा** चलाता है। **इसके अलावा:**
 - यदि अपराध किसी राष्ट्रीय पार्टी द्वारा, किसी राज्य पार्टी के क्षेत्र में अथवा किसी ऐसे राज्य में किये जाते हैं जिसने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया है।
 - संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाए गए **एकपरस्ताव के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC)** द्वारा अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के **अभियोजक** के पास भेजा जाता है।
 - ICC का लक्ष्य **राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणालियों का समर्थन करना है, न कि उनका स्थान लेना है।**

- यह केवल उन मामलों पर मुकदमा चलाता है जब राज्य वास्तव में ऐसा करने के लिये अनिच्छुक या असमर्थ होते हैं।
 - ICC **संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है** लेकिन इसका संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोगात्मक समझौता है।
 - जब कोई स्थिति किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है, तो **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC)** उस स्थिति को अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हुए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को **संदर्भित कर सकता है**।
 - अमेरिका, चीन, रूस, इज़रायल और अन्य राष्ट्र युद्ध अपराध, नरसंहार तथा अन्य अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिये न्यायालय के अधिकार को अस्वीकार करते हैं।
- **ICC और ICJ के बीच अंतर:**

Differences between the ICJ and the ICC

	 ICJ International Court of Justice	 ICC International Criminal Court
Established	1945	2002
UN-relationship	Highest court of the UN	Not part of the UN
Location	The Hague, the Netherlands	The Hague, the Netherlands
Jurisdiction	UN member-states	Individuals
Types of cases	Legal disputes between states and requests for advisory opinions on legal questions	Prosecutes individuals for the most serious crimes as per the Rome Statute
Appeals	No	Yes
Enforcement power	None - relies on the UN Security Council to uphold judgements, with permanent members having veto power	None - relies on cooperation from member states to enforce its decisions

//

युद्ध अपराध (War Crime) क्या है?

- **परिचय:**
 - युद्ध अपराधों को संघर्ष के दौरान **मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघन** के रूप में परिभाषित किया गया है; जिसमें किसी व्यक्ति को बंधक बनाना, **इरादतन हत्याएँ करना, युद्धबंदियों पर अत्याचार या उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना** और बच्चों को लड़ने के लिये वविश करना, इसके कुछ अधिक स्पष्ट उदाहरण हैं।
 - यह इस विचार पर आधारित है कि किसी राज्य या उसकी सेना के कार्यों के लिये व्यक्तियों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- **युद्ध अपराध बनाम मानवता के विरुद्ध अपराध:**
 - नरसंहार रोकथाम और सुरक्षा ज़िम्मेदारी (या **जेनोसाइड कन्वेंशन**) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय **युद्ध अपराधों को नरसंहार व मानवता के विरुद्ध अपराधों से पृथक करता है।**
 - **युद्ध अपराधों** को घरेलू संघर्ष या दो राज्यों के बीच युद्ध के घटित होने के रूप में परिभाषित किया गया है।
 - जबकि **नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध** शांतकाल में या नहित्थे लोगों के समूह के प्रति सेना की एकपक्षीय

आक्रामकता के दौरान हो सकते हैं।

■ युद्ध अपराध पर जनिवा कन्वेंशन (Geneva Conventions):

- **जनिवा कन्वेंशन (1949)** और उनके अन्य प्रोटोकॉल ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधियाँ हैं जिनके अंतर्गत युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण नियम शामिल किये गए हैं।
- ये नियम उन लोगों की रक्षा करते हैं जो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं (नागरिक, चिकित्सा, सहायता कर्मी) या फिर ऐसे लोग जो अब युद्ध नहीं लड़ सकते हैं (घायल, बीमार लोग, सैनिक और युद्ध के कैदी)।
 - पहला जनिवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान ज़मीन पर घायल और बीमार सैनिकों की रक्षा करता है।
 - दूसरा जनिवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार एवं जहाज़ पर मौजूद सैन्य कर्मियों की सुरक्षा प्रदान करता है।
 - तीसरा जनिवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए लोगों पर लागू होता है।
- चौथा जनिवा कन्वेंशन, कब्ज़े वाले क्षेत्र सहित नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है।
- भारत सभी चार जनिवा कन्वेंशन का एक पक्षकार है।

सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न 1. दक्षिण-पश्चिम एशिया का नमिनलखिति में से कौन-सा देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? (2015)

सीरिया

जॉर्डन

लेबनान

इज़रायल

उत्तर: (b)

?????????:

प्रश्न 1. 'आवश्यकता से कम नकदी, अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन-रक्षण की स्थिति में पहुँचा दिया है।' अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर 'इज़रायल वरिधी पूर्वाग्रह' होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की वविचना कीजिये। (2019)

प्रश्न 2. "भारत के इज़रायल के साथ संबंधों ने हाल में एक ऐसी गहराई एवं वविधिता प्राप्त कर ली है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।" चर्चा कीजिये। (2018)